



राजस्थान-सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141-2224878

ई-मेल: rmisc.mnly@gmail.com

क्रमांक: एक04(200)/एमएनजेवाई/बजट/2015-16/

395

दिनांक:

14/8/15

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:-मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में हस्तांतरित बजट राशि का अप्रैल, मई, जून 2015 तक के व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके कार्यालय के अधीन चिकित्सालयों के लिये विभिन्न मदों में राशि हस्तांतरित की गई है, का माह जून 2015 तक का माहवार व्यय विवरण एवं विवरणवार उपयोगिता प्रमाणपत्र की सूचना भिजवाने हेतु समय समय पर दूरभाष पर तथा मोबाइल मैसेज के द्वारा सूचित किया गया है परन्तु अभी तक आपके कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय के पत्रांक 250 दिनांक 04.06.15 पत्रांक 331,332 दि0 08.07.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में चिकित्सा संस्थानों में संचिदा/व्हेसमेन्ट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में याही गई थी, जिसकी सूचना भी अधिकार कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त निदेशालय को मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत कार्मिकों के मानदेय भुगतान नहीं मिलने, कार्य से हटाये जाने आदि के प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के सूचना तंत्र (CMIS) में तथा समय-समय पर पत्रानुसार प्राप्त हो रहे है। जबकि इस क्रम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा समय-समय पर निर्देशानुसार व पत्रांक 150 दिनांक 22.03.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में चिकित्सा संस्थानों में वांछित कार्मिकों के अनुबन्ध किये जाने/अवधि बढ़ाने/समय पर मानदेय भुगतान किये जाने/एजेन्सीयों द्वारा किये जा रहे मानदेय का आर्थिक शोषण रोके जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

इसके पश्चात भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के पत्रांक लेखा/बैठक / 2015/1761/दि0 13.07.15 के अनुसार दि0 27.07.15 को आयोजित बैठक में भी निर्देशित किया गया है, इसके अनुसार निम्न प्रकार की सूचनाएं इस कार्यालय को प्रेषित करायें।

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत किये गये व्यय का-
  - 12 ग्रांट इन एंड मद में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
  - 18 उपकरण एवं मशीनरी मदवार में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
  - 01 संवेतन मद में हुये व्यय का चिकित्सा संस्थावार तथा संकलित विवरण प्रस्तुत करें।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत किये गये व्यय का-
  - 12 ग्रांट इन एंड मद में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
  - 18 उपकरण एवं मशीनरी मदवार में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
  - 01 संवेतन मद द्वारा हुये व्यय का चिकित्सा संस्थावार तथा संकलित माह अप्रैल,मई,जून 2015 में हुये व्यय का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में संचिदा/व्हेसमेन्ट एजेंसियों के माध्यम से रखे गये कार्यरत कार्मिकों की संस्थावार तथा संकलित सूचना प्रेषित करें।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत उपकरण मदों में आंगटित बजट के अनुसार चिकित्सा संस्थानों के द्वारा इस बजट का उपयोग नहीं किया जा रहा है ना ही इसके व्यय की सूचना भिजवाई जा रही है।

इस हेतु भी आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में आंगटित बजट का पूर्ण उपयोग करें, तथा माहवार व्यय विवरण भिजवायें एवं उपकरणों के रख रखाव/संभरण के संबंध में की गई कार्यवाही से भी अवगत करायें। आंगटित बजट के पूर्ण उपयोग करने व उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने की सुनिश्चितता करायें, बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने की स्थिति में यदि वित्त विभाग द्वारा बजट का प्रत्याहरण (विड्रॉ) किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान-सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

ई-मेल: rmsc.mnjy@gmail.com

दस्तावेज सं0 : 0141-2224878

क्रमांक: एफ04(200)/एमएनजेवाई/बजट/2015-16/

२०५

दिनांक:

12-8-15

दिनांक :

कमांक: एफ04(200)/एमएनजेवाई/बजट/2014-15/

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) को वित्तिय वर्ष 2015-16 में आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों को आवंटित बजट की सूचना प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन जिलों की चिकित्सा संस्थानों में उपरोक्तानुसार एवं नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करावे तथा समय-समय पर संबंधित कार्यालयों की इस क्रम में समीक्षा करें एवं उचित कार्रवाही करते हुये तथ्यात्मक अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को भिजवायें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर